ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ 17( )खा.वि./न्याय/प्रा.आ./2020 जयपुर, दिनांक : 01.04.2020

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषयः–कोविड–19 लॉक डाउन अवधि के दौरान खाद्य पदार्थ आपूर्ति श्रंखला के निर्बाध संचालन के संबंध में।

राज्य में कोविड–19 लॉक डाउन अवधि के दौरान नागरिकों को आवश्यक खाद्य पदार्थों के अभाव का सामना नहीं करना पड़े, इसके मद्देनजर सभी किराणा, उचित मूल्य दुकानों तथा आटा, दाल एवं तेल मिलों को खुला रखने की छूट एवं निर्देश दिए गए हैं। किराणा दुकानों के खुले रहने के कारण अभी तक नागरिकों को आवश्यक खाद्य राशन सामग्री की उपलब्धता की समस्या नहीं आई है। **राज्य में लॉक डाउन अवधि को प्रारंभ हुए लगभग 10 दिवस हो चुके है लेकिन लॉक डाउन अवधि में समय बीतने के साथ ही आपूर्ति श्रंखला में समस्याएं उत्पन्न होना संभावित है** क्योंकि थोक दुकानों से नियमित आपूर्ति के अभाव में नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करवाने में किराणा एवं राशन की दुकानों की क्षमताएं अत्यन्त सीमित होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में किराणा दुकानों, थोक आपूर्तिकर्त्ताओं एवं परिवहन संगठनों के मध्य सुदृढ़ अनौपचारिक तंत्र स्थापित रहता है लेकिन लॉक डाउन अवधि में इनमें से किसी के भी उपलब्ध नहीं होने, आवागमन प्रतिबंधित होने, कुछ स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ होने आदि कारणों से इस व्यवस्था में प्रभावी रूप से चालू नहीं रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न केवल राजकीय बल्कि निजी क्षेत्र में आपूर्ति श्रंखला को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का प्रभावी दखल एवं नियंत्रण आवश्यक है।

अतः लॉक डाउन अवधि में सम्पूर्ण राज्य में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रंखला को सुचारू बनाए रखने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

1. **जिले में समस्त आटा, तेल एवं दाल मिलों को चिन्हित किया जाए।** इन सभी मिलों को सूचीबद्ध करते हुए उनके संपर्क नंबर सभी किराणा दुकानदारों को उपलब्ध करवाए जाएं।
2. **जिले में खाद्य सामग्री आपूर्ति करने वाले समस्त थोक विक्रेताओं का चिन्हीकरण किया जाए।** थोक विक्रेताओं के संपर्क नंबर सभी किराणा दुकानदारों को उपलब्ध करवाए जाएं।
3. **मंडियों, मिलों एवं थोक विक्रेताओं से किराणा दुकानों तक आपूर्ति हेतु वाहनों का चिन्हीकरण किया जाए।** परिवहन साधनों की आवश्यकता मंडियों एवं मिलों से लेकर गली मोहल्ले तक सामान आपूर्ति हेतु होगी अतः वाहनों का त्रिस्तरीय चयन किया जाए।

   प्रथम, मंडी, फैक्ट्री एवं मिल से थोक आपूर्तिकर्त्ताओं तक आपूर्ति तथा अंतरजिला परिवहन हेतु बड़े वाहन।

   द्वितीय थोक आपूर्तिकर्त्ताओं से किराना दुकानों तक आपूर्ति हेतु मध्यम वाहन।

   तृतीय, थोक विक्रेताओं से छोटे मोहल्लों एवं गलियों तक आपूर्ति एवं किराणा दुकानों से घर–घर आपूर्ति हेतु हल्के छोटे वाहन।

जिले में उपलब्ध बड़े, मध्यम एवं लघु वाहनों का व्यवस्थित श्रेणीकरण करते हुए आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु उपयोग सुनिश्चित किया जाए। **किसी भी वाहन मालिक द्वारा इसमें कोताही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जावे।**

4. भारतीय डाक विभाग के पास डाक वितरण वाहन उपलब्ध है। डाक विभाग द्वारा कोविड–19 लॉक डाउन अवधि में अपने वाहन आवश्क वस्तुओं की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध करवाने की सहमति दी है। **अतः प्रत्येक जिले में डाक विभाग के परिवहन साधनों को खाद्य आपूर्ति श्रंखला बनाए रखने हेतु काम में लिया जाए।**
5. किराणा दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और वाहन मालिकों के मध्य समन्वय हेतु यथासंभव क्षेत्रवार/वार्डवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएं व विशेष को समस्या आने पर जिला स्तर से मोनिटरिंग करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
6. **लॉक डाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के भावों में अनावश्यक वृद्धि न हो यह सुनिश्चित किया जाए।**
7. **थोक आपूर्ति के लिए कुछ जिलों की अन्य जिलों में स्थित प्रतिष्ठानों पर निर्भरता हो सकती है जिसके कारण अन्तरजिला परिवहन की आवश्यकता होगी।** ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर स्थानीय थोक विक्रेता संघ/किराणा संघों से चर्चा कर अपने जिले के लिए ऐसे अन्तरजिला आपूर्तिकर्त्ता की पहचान कर न केवल संबंधित आपूर्तिकर्त्ता बल्कि संबंधित जिला कलेक्टर जहां वह प्रतिष्ठान स्थित है से भी आवश्यक समन्वय करे ताकि परिवहन में किसी प्रकार की समस्या न आए।

लॉक डाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी मिलों/थोक भंडारों आदि को खुला रखने के लिए जिला कलक्टरों को आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा मिलों/थोक/भंडारगृहों आदि को चालू रखना सुनिश्चित किया जाएं।

मिल/थोक भंडार आदि संचालन के समय कहीं–कहीं अधिक व्यक्तियों के नियोजन की संभावना के मद्देनजर इन स्थानों पर सामाजिक दूरी (Social distancing), संपर्करहित (Contactless) व्यवहार एवं स्वच्छीकरण (sanetization) का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव